यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर (चमोली) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर (चमोली) के माह 05/2013 से 09/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री प्रितान्शु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 02.11.2017 से 07.11.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 13.05.2013 से 18.05.2013 तक श्री डी0के0 पिपलानी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 03/2009 से 04/2013 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 09/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु आवश्यक मूल–भूत सुविधाओं की ब्यवस्था करना, चिकित्सालय में रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करना, औषधि क्रय,निःशुल्क वितरण की ब्यवस्था करना एवं मुख्यमत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सुविधाऐं प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र चिकित्सालय परिसर तक सीमित है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

(ii) (अ) विगत पॉच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2013–14	–	56.49	409.32	406.14	174.95	128.42	–	3.18	–	45.83
2014–15	–	45.83	460.19	456.18	191.30	121.03	–	4.01	–	70.27
2015–16	–	70.27	531.07	484.40	138.59	118.07	–	46.67	–	90.70
2016–17	–	90.70	561.15	561.15	137.42	103.16	–	–	–	124.95
2017–18 (09/2017)	–	124.95	685.71	404.16	64.13	50.92	–	281.55	–	138.16

नोटः अवशेष में मात्र सी0पी0एस0 की धनराशि है। बाकी मदों (स्थापना/गैर–स्थापना) में अवशेष धनराशि मार्च माह में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2013–14	एन0एच0एम0 एवं एड्स कार्यक्रम	11.62	28.93	27.25	–	13.30
2014–15		13.30	31.63	32.61	–	12.32
2015–16		12.32	29.24	28.73	–	12.83
2016–17		12.83	26.67	31.76	–	7.74
2017–18 (09/2017)		7.74	5.18	3.00	–	9.92

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार द्वारा तथा एन0एच0एम0 का बजट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

↓

अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

↓

महानिदेशक

↓

निदेशक

↓

मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

↓

चिकित्सा अधीक्षक

↓

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

↓

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

↓

चिकित्साधिकारी

↓

पैरामेडिकल संवर्ग

↓

मिनिस्टिरियल संवर्ग

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर (चमोली) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर (चमोली) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2014, मार्च 2016 एवं मार्च 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 56.79 लाख के अनियमित व्यय के साथ अधिक भुगतान

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन लाभार्थी को प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा। इसके अतिरिक्त आशाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रथम 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के पश्चात् दी जाएगी वशर्ते सम्बन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि प्रसव के एक माह पश्चात् दी जाएगी जब बी0सी0जी0 वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शिशुओं के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण में सहायता की हो।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर (चमोली) के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 से 2017–18 (9/2017) तक कुल 3504 लाभार्थियों एवं 1844 आशाओं (वर्ष 2013–14 : 524, वर्ष 2014–15 : 429, वर्ष 2015–16 : 383, वर्ष 2016–17 : 344 एवं वर्ष 2017–18 : 164) को क्रमशः रु0 45.98 लाख एवं रु0 10.81 लाख[1] का भुगतान किया गया। आगे, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लाभार्थियों एवं आशाओं को किया गया रु0 56.79 लाख का भुगतान जे0एस0वाई0 योजना के दिशा– निर्देशों के विपरीत किया गया था, **जिसका विवरण निम्नवत् हैः-**

1. शत–प्रतिशत प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड प्रसव के दिन ही भरे गये थे।
2. संस्थागत प्रसव कराने वाली 237 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 3.00 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।
3. वर्ष 2017–18 के समस्त 322 प्रकरणों में रु0 4.27 लाख का भुगतान प्रसव की तिथि से सात दिन से अधिक की देरी से किया गया था।

[1] वर्ष 2013–14 : रु0 303400, वर्ष 2014–15 : रु0 250800, वर्ष 2015–16 : रु0 227600, वर्ष 2016–17 : रु0 202200 एवं वर्ष 2017–18 : रु0 97000

4. समस्त प्रकरणों में आशाओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 10.81 लाख एक ही किश्त में भुगतान किया गया था, जबकि आशाओं को प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जानी चाहिए थी।

वर्ष 2013–14 से 2017–18 (9/2017) तक हुए संस्थागत प्रसवों एवं प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या (Col.7 – 5)	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	देय राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	आधिक्य भुगतान (Col.8 – Col.9)
(1)	(2)	(3)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
2013–14	ग्रामीण	770	759	11	770	1078000	1062600	15400
	शहरी	240	213	27	240	240000	213000	27000
2014–15	ग्रामीण	619	599	20	619	866600	838600	28000
	शहरी	187	160	27	187	187000	160000	27000
2015–16	ग्रामीण	581	552	29	581	813400	772800	40600
	शहरी	140	122	18	140	140000	122000	18000
2016–17	ग्रामीण	501	431	70	501	701400	603400	98000
	शहरी	144	139	5	144	144000	139000	5000
2017–18 (9/2017)	ग्रामीण	263	235	28	263	368200	329000	39200
	शहरी	59	57	2	59	59000	57000	2000
योग:–	**ग्रामीण**	**2734**	**2576**	**158**	**2734**	**3827600**	**3606400**	**221200**
	शहरी	**770**	**691**	**79**	770	**770000**	**691000**	**79000**
महायोग:		**3504**	**3267**	**237**	**3504**	**4597600**	**4297400**	**300200**

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 56.79 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण एवं परिवार कल्याण में ब्यस्थता के कारण कार्ड पूर्व में नहीं भरे गये तथा लाभार्थियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर 48 घण्टे से पूर्व डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फिर भी भविष्य में सुधार किया जाएगा। आशाओं को एकमुश्त राशि के सम्बन्ध में बताया कि आशाओं के अनुरोधों पर एकमुश्त भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थियों एवं आशाओं को भुगतान किया जाना चाहिए था। इसप्रकार योजना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर उनको देय भुगतान अमान्य था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 56.79 लाख के अनियमित व्यय के साथ अधिक भुगतान के प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 रु0 28.90 लाख के अक्रियाशील एवं अनुपयोगी उपकरणों की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 एवं 197 के अनुसार निष्प्रयोज्य सामग्री को यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर के केन्द्रीय भण्डार पंजिका एवं सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि रु0 28.90 लाख के उपकरण विशेषज्ञ संचालकों के अभाव में अकार्यशील थे। उक्त उपकरणों के इस प्रकार लंबी अवधि तक अनुपयोगी रहना सिद्ध करता है कि उक्त उपकरणों का क्रय या तो बिना आवश्यकता के किया गया है, या इनके उपयोग हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।इस प्रकार प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव मे उपयोग नहीं किए जाने, अक्रियाशील रहने एवं रख–रखाव के अभाव में ये उपकरण अप्रासंगिक एवं बेकार हो चुकी हैं। अनुपयोगी उपकरणों का विवरण निम्नवत् हैः–

(में .रु)

क्र सं	उपकरण/मशीन का नाम	मात्रा	वर्ष	अवधि वर्ष	इकाई मूल्य	कुल मूल्य
1	Boyles Aparatas	2	1983	34	17082	34164
2	Dental Unit	1	1986	31	6750	6750
3	20MA Xray Machine	1	1987	30	89879	89879
4	Xray Machine 300MA	1	1988	28	19989	19989
5	USAMachine Ultra	1	1997	20	705600	705600
6	Ventilator	1	2004-05	12	635440	635440
7	Automatic X&Ray	1	2006-07	11	223600	223600
8	Radient Heat	2	2008-09	10	93650	187300
9	BP Appratus Stand	4	2008-09	10	8108	32432
10	BP Appratus Table	10	2008-09	10	10910	109100
11	Watter Coller	01	2008-09	10	78815	78815
12	Heat Warmer	03	2001-02	15	178752	536256
13	Diatilation Appratus	1	2010-11	7	8799	8799
14	Accord Digital	1	2010-11	7	190299	190299
15	Infusion Pump	1	2011-12	6	31490	31490
			योग			**2889913**

आगे, जांच मे पाया गया कि वर्ष से अनुपयोगी पड़े हैं 34 से 5 उपकरण विगत 15, जो निष्प्रयोज्य घोषित करने योग्य हैं, परंतु कार्यालय द्वारा न तो भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया एवं न ही इन अनुपयोगी उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया। इस प्रकार, समय पर निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी नहीं किए जाने से उक्त निष्प्रयोज्य उपकरणों का निरंतर मूल्य ह्रास हुआ है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों के अभाव के कारण उपकरण अक्रियाशील हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अक्रियाशील एवं अनुपयोगी उपकरणों को सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार नीलामी की जानी चाहिए थी।

अतः रु0 28.90 लाख के अक्रियाशील एवं अनुपयोगी उपकरणों की नीलामी न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 1.72 लाख की शासकीय हानि।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला चिकित्सालय, चमोली, थर्ड पार्टी प्रशासक (टी0पी0ए0) एवं बीमा कम्पनियों (i) यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई फेस–। तथा (ii) बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना फेस–।। के मध्य सेवा अनुबन्ध हेतु एक समझौता ज्ञापन[2] किया गया। समझौता ज्ञापन के बिन्दु संख्या 14 में उल्लिखित भुगतान के नियम एवं शर्त के अनुसारः

1. चिकित्सालय को लाभार्थी के चिकित्सा उपचार, शल्य चिकित्सा, ओ0पी0डी0 इत्यादि से सम्बन्धित अन्तिम/वॉछित दस्तावेज लाभार्थी के चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के सात दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
2. यदि चिकित्सालय इन्टरनेट कनेक्टिविटी या अन्य कारणों से वॉछित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो भुगतान हेतु दावों को अधिकतम 10 दिनों के भीतर इलेक्ट्रोनिकली या मैन्युअली रुप से बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा।
3. दावा प्रेषित करते समय चिकित्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कम्पनी को सूचित करेगा। यदि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे 30 दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किए गये हों तो बीमा कम्पनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी कि दावे 10 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हुए या निर्धारित प्रारुप में नहीं थे।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, चमोली के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एम0एस0बी0वाई0) से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु फेस–। में यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई को 30 जून 2016 तक रु0 15,06,450 की राशि के 452 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए गये, जिसमें से लेखापरीक्षा अवधि तक बीमा कम्पनी द्वारा 352 मामलों में ही रु0 11,41,200 की राशि प्रतिपूर्ति की गई तथा रु0 1,25,000 के 39 दावे प्रतिपूर्ति हेतु इस आधार पर अस्वीकृत की गई कि चिकित्सालय द्वारा उक्त दावों को समझौता ज्ञापन में निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्रस्तुत किया। इसीप्रकार, फेस–।। के अन्तर्गत 01 अगस्त 2016 से बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना को 30 जुलाई 2017 तक रु0 13,60,250 की राशि के 290 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए गये, जिसमें से जुलाई 2017 तक बीमा कम्पनी द्वारा 276 मामलों में ही रु0 7,26,900 की राशि प्रतिपूर्ति की गई तथा रु0 46,500 के 12 दावों को प्रतिपूर्ति

[2] यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (01.04.2015 से 31.07.2016) एवं बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना (01.08.2016 से वर्तमान तक)।

किए जाने हेतु अस्वीकृत/निरस्त किया गया। 63 प्रतिपूर्ति के दावे बीमा कम्पनी में प्रगति पर हैं। चिकित्सालय द्वारा बीमा कम्पनियों को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावों, उसके सापेक्ष भुगतानित दावों एवं अस्वीकृत दावों का विवरण निम्नवत् हैः—

बीमा कम्पनी	योजना का नाम	समझौता अवधि की तिथि	कुल प्रस्तुत दावे		भुगतानित दावे		अस्वीकृत दावे	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई	एम0एस0बी0वाई0 **फेस–I**	01.06.2015 से 30.06.2016 तक	452	15,06,450	352	11,41,200	39	1,25,000
बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना	एम0एस0बी0वाई0 **फेस–II**	01.08.2016 से जुलाई 2017 तक	290	13,60,250	276	7,26,900	12	46,500
	योगः—		**742**	**28,66,700**	**628**	**18,68,100**	**51**	**1,71,500**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में प्रतिपूर्ति हेतु अभिलेखों को अपलोड न किए जाने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा प्रेषित 51 प्रकरणों को निरस्त किया गया। इसप्रकार, जिला चिकित्सालय द्वारा 51 दावों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत न करने एवं बीमा कम्पनी द्वारा इन्हें अस्वीकार किए जाने के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को रु0 1.72 लाख की शुद्ध हानि हुई।

अतः मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 1.72 लाख के शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 अर्जित ब्याज की राशि रु0 14.54 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

शासनादेश दिनॉक 03 सितम्बर 2009 के अनुसार यदि समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभाग न किया जा सके तथा उस पर अर्जित ब्याज की राशि राजकोष में लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियों के अन्तर्गत जमा कर दी जानी चाहिए।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर के तुलन–पत्र से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि रु0 14.54 लाख की ब्याज की राशि चिकित्सालय के खाते में रखी गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त न होने के कारण ब्याज की राशि खाते में रखी गयी है, जिसे भविष्य में निर्देश प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार अर्जित ब्याज की राशि राजकोष में जमा की जानी चाहिए थी।

अतः अर्जित ब्याज की राशि रु0 14.54 लाख को राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 10.63 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार फार्माशिष्टों/चीफ फार्माशिष्टों का वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड वेतन रु0 6600 से उच्चीकृत/संशोधन करते हुए वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड वेतन रु0 7600 किया गया था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि 06 फार्माशिष्टों/चीफ फार्माशिष्टों का वेतन दिसम्बर 2013 के शासनादेश के विपरीत शासनादेश संख्या 41/XXVII(7) सी भर्ती दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार उच्चीकृत करते हुए ग्रेड वेतन रु0 7600 में न्यूनतम वेतन रु0 21900 पर वेतन निर्धारण किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि शासनादेश संख्या 41/XXVII(7) सी भर्ती दिनॉक 31.02.2009 उन कार्मिकों पर लागू था जो दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त हुए हों। जबकि, तालिका में उल्लिखित 06 फार्माशिष्टों/चीफ फार्माशिष्टों की नियुक्ति दिनॉक 01.01.2006 से पूर्व थी, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	कार्मिक का नाम	नियुक्ति की तिथि	पदनाम	त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की अवधि	अधिक भुगतान की राशि
1.	श्री पतांजलि पुरोहित	01.01.1985	चीफ फार्माशिष्ट	01.01.2009 से 31.10.2017	316023.00
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह	01.10.1983	–तदैव–	31.12.2013 से 31.10.2017	208643.00
3.	श्री उत्तम सिंह	01.08.1983	–तदैव–	1.12.2013 से 31.10.2017	179670.00
4.	श्री बीर लाल कानियाल	06.08.1983	–तदैव–	31.12.2013 से 31.10.2017	208493.00
5.	कु0 मंजू नेगी	04.03.1993	–तदैव'	31.12.2013 से 31.12.2015	139838.00
6.	श्री रमेश	13.06.1980	–तदैव–	01.01.2014 से 31.12.2015	10386.00
	योगः–				**1063053.00**

इसप्रकार, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण उक्त 06 चीफ फार्माशिष्टों को रु0 10.63 लाख का अनियमित एवं अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित फार्माशिष्टों/चीफ फार्माशिष्टों का वेतन दिनॉक 31.12.2013 को त्रुटिपूर्ण हो जाने के कारण उनकी वसूली निदेश कोषागार/कोषाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है, जिसकी वसूली नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 10.63 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–II 'ब' प्रस्तर संख्या
116/2006–07	–	4, 5 एवं 6
168/2008–09	1	1 एवं 2
19/2013–14	–	1 स्टैन 1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
116/2006–07	भाग–II 'ब' प्रस्तर–4	कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–5	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–6	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
168/2008–09	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
19/2013–14	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर (चमोली) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } –– शून्य ––
   (ii)

2. **सतत् अनियमितताऐं:**

   (i) } –– शून्य ––
   (ii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 वी0 के0 शुक्ला	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.05.2013 से 31.07.2017
2.	डा0 विराज शाह	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.08.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर (चमोली) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र